अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा कसनाउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 362 की भूमि में वादी के हक बंट में रखी गई है तथा मुतदाविया शेष खसरान् नंबर 138 रकबा 0.5989 हेक्टेयर, खसरा नंबर 314 रकबा 4.7591 हैक्टेयर, खसरा नंबर 314/611 रकबा 1.5297 हैक्टेयर, , खसरा नंबर 825/138 रकबा 0.0486 हैक्टेयर यथावत् प्रतिवादी संख्या 1 डुंगाराम के कब्जे काश्त में रखने की वाद पत्र में इस्तदुआ चाही गई है। अतः मौजा कसनाउ के खेत खसरा नंबर 362 रकबा 2.6143 हैक्टेयर , खसरा नंबर 138 रकबा 0.5989 हेक्टेयर, खसरा नंबर 314 रकबा 4.7591 हैक्टेयर, खसरा नंबर 314/611 रकबा 1.5297 हैक्टेयर, , खसरा नंबर 825/138 रकबा 0.0486 हैक्टेयर में वादी देवकरण को प्रतिवादी संख्या 1 डुंगाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कसनाउ के खेत खसरा नंबर 362 रकबा 2.6143 हैक्टेयर , खसरा नंबर 138 रकबा 0.5989 हेक्टेयर, खसरा नंबर 314 रकबा 4.7591 हैक्टेयर, खसरा नंबर 314/611 रकबा 1.5297 हैक्टेयर, , खसरा नंबर 825/138 रकबा 0.0486 हैक्टेयर में वादी देवकरण को प्रतिवादी संख्या 1 डुंगाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी देवकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 362 रकबा 2.6143 हैक्टैयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 डुंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ के मुतदाविया शेष खेताय खसरा नंबर 138 रकबा 0.5989 हेक्टेयर, खसरा नंबर 314 रकबा 4.7591 हैक्टेयर, खसरा नंबर 314/611 रकबा 1.5297 हैक्टेयर, , खसरा नंबर 825/138 रकबा 0.0486 हैक्टेयर यथावत् रखे गये हैं।

निर्णय आज दिनांक ...10/11/2021..... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कुलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner